


31103121 वबुलाम अ.।

पञ्जावली के संबंधीत मूल अपील लेखमा 21
में निर्णय पारित किया जा चुका है। इस स्तर पर
इस्तराफ स्थान प्र. पर में कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित
नहीं रहने के स्थान प्र. पर कार्रवाई किया जाता है।
पञ्जावली मूल अपील के मेलान नहीं है।

पञ्जावली सुभार प्र. लेन होकर इस न्यायालय
के नम्बर के अंग है।


अति. जिला कलेक्टर, पाली.